

प्रारूप - सात

(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र

1. सोसाइटी का नाम व पूरा पता : विद्यासागर स्कूल समिति, भिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.)-452016
2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : IND/347/91 Dated 8/3/1991
3. उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या उनके नाम व पते संलग्न करे : संलग्न
4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि : तीन वर्ष
5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी : 29/11/2025 संलग्न
6. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 30/11/2025 से तारीख 28/11/2028 तक

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री मदन पंवार	169-भिचौली मर्दाना, इंदौर	9977714246	अध्यक्ष	सेवानिवृत्त बैंककर्मी	
2	श्री गौरव यशवंत पटेल	22-पिपलोदा, देपालपुर	9826530999	उपाध्यक्ष	खेती	
3	श्री जगदीश आशाराम जोशी	29-राम नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर	942506359	कोषाध्यक्ष	नौकरी	
4	श्री कैलाशचन्द्र सुनेरसिंह चौहान	191-भिचौली हप्सी, इंदौर	9826584999	सचिव	सेवानिवृत्त नौकरी	
5	श्री बद्रीलाल अम्बाराम चौहान	169-भिचौली मर्दाना, इंदौर	9893699187	कार्यकारिणी सदस्य	सेवानिवृत्त नौकरी	
6	श्री मोरसिंग दयाराम पंवार	169-भिचौली मर्दाना, इंदौर	9827634999	कार्यकारिणी सदस्य	खेती	
7	श्री ईश्वर गल्ला चौहान	104-ग्राम व पोस्ट भिचौली मर्दाना, इंदौर	9826953909	कार्यकारिणी सदस्य	खेती	
8	श्री जगदीश गौरीशंकर शर्मा	148-ग्राम व पोस्ट भिचौली मर्दाना, इंदौर-452016	9827651377	कार्यकारिणी सदस्य	सेवानिवृत्त नौकरी	

7. पूर्व निर्वाचन की तारीख : 29/11/2025
8. सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास व दिनांक : जुलाई 2025

9. अंतिम वार्षिक सूचना कब प्रस्तुत की गई, यदि प्रस्तुत नहीं की गई तो कारण :- अगस्त 2025

10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त तारीख सहित संलग्न करे : संलग्न

11. म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन 2000/- रुपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक 051/9999999/1475/12/25 दिनांक 29-12-2025 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

मैं कैलाशचन्द्र चौहान पुत्र श्री सुनेरसिंह चौहान आयु लगभग 66 वर्ष एक प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद द्वारा यह घोषणा करता हू कि उपरोक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अघोहस्ताक्षर कर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ की यही मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दंड का दायी हो रहूंगा।

(कैलाशचन्द्र सुनेरसिंह चौहान)-सचिव-विद्यासागर स्कूल समिति, इंदौर (म.प्र.)

सचिव,

विद्यासागर स्कूल समिति

इंदौर (म.प्र.)